उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

Mutation Revision Case No.- 258/2023,
Mutation Revision Case No.- 259/2023,
Mutation Revision Case No.- 260/2023,
Mutation Revision Case No.- 261/2023,
Mutation Revision Case No.- 262/2023,

मो0 जमाल
—बनाम—
राज्य एवं अन्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
22/06/24	प्रस्तुत मामला अपीलार्थी मोहम्मद जमाल द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, हजारीबाग के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या— 125/2023—2024 126/2023—2024 124/2023—2024 127/2023—2024 128/2023—2024 में दिनांक 19.10.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलवाद दायर किया गया है। **निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, हजारीबाग के द्वारा निम्न तथ्यों के आधार पर आदेश पारित किया गया है:—** उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं के दलीलों एवं राजस्व कागजातों के अवलोकन से पता चलता है कि मौजा कर्वेकला थाना नंबर 173 अंतर्गत खाता नंबर 01 बकास्त खाते कि भूमि है। जिसमे खाता संख्या 01 के कुल रकबा 8.45 एकड़ भूमि सुलहनामा के आधार पर वादी शेख अलीजान पिता स्वर्गीय शेख चरण ग्राम कर्वेकला एवं शेख अमरली पिता स्वर्गीय शेख हेमत को सुलहनामा के आधार पर प्राप्त है, जिसके आलोक में अलीजान मियां वगैरह के नाम से जमाबंदी कायम कर अंचल अधिकारी सदर हजारीबाग द्वारा लगान रसीद निर्गत है तथा उक्त राजस्व कागजातों के आधार पर केवाला निष्पादित किया गया है तदुपरांत नामांतरण बाद निष्पादित किया गया है। जिसमे राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक सदर हजारीबाग द्वारा प्रतिवेदित है कि भूमि बकास्त खाते की है, भूमि बिक्रेता के पूर्वज अलीजान मियां वगैरह पिता चरण मियां के नाम से पंजी—II में जमाबंदी दर्ज है। भूमि गैर मजरूआ खास, आम प्रतिबंधित सूची इत्यादी से मुक्त है। अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित है कि राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आलोक में नामांतरण स्वीकृत किया जाता है। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर मो0 जमाल एवं अन्य के द्वारा वर्तमान अपीलवाद दायर किया गया है।	
उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग		

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बतलाया गया कि प्रश्नगत भूमि अलीजान मियां को title appeal no 86/2018 वर्ष 1926 से प्राप्त है। उक्त title वाद से अलीजान मियां एवं अमरली मियां को कुल रकवा 8.45 एकड़ में से आधा–आधा रकवा 422.5 डिसमिल भूमि प्राप्त हुआ एवं दखल कब्जा में आये अलीजान मियां की मृत्यु उपरांत उनके वारिसानो का दखल कब्जा एवं हक प्राप्त है। अपीलार्थी अलीजान मियां के पोता है। अपीलार्थी का कहना उक्त भूमि की निम्न प्रतिवादियों के द्वारा अपनी पत्नी के नाम से दान पत्र लिख दिया गया है जिसमे गलत वंशावली का उपयोग किया गया है। जबकि वो अलीजान मियां के वंशावली में नहीं आते हैं।

अपीलार्थी का कथन है कि विपक्षी लेख्यकारी मोहम्मद इस्लाम ने अपीलार्थी को प्राप्त भूमि खाता संख्या–01 प्लॉट संख्या–160 रकबा 9.58 डिसमिल अपनी पत्नी को दान पत्र केवाला संख्या 6442 दिनांक 13.08.2022 से कर दिए हैं। उक्त केवाला का अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण बाद संख्या 7158/2022–23 से स्वीकृत किया गया है।

विपक्षी लेख्यकारी मो0 साबिर ने अपीलार्थी को प्राप्त भूमि खाता संख्या–01 प्लॉट संख्या–160 रकबा 28.75 डिसमिल अपनी पत्नी को दान पत्र केवाला संख्या 6441 दिनांक 13.08.2022 से कर दिए है। उक्त केवाला का अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण बाद संख्या 7160/2022–23 से स्वीकृत किया गया है।

विपक्षी लेख्यकारी असलम राही ने अपीलार्थी को प्राप्त भूमि खाता संख्या–01 प्लॉट संख्या–160 रकबा 9.59 डिसमिल अपनी पत्नी को दान पत्र केवाला संख्या 6443 दिनांक 13.08.2022 से कर दिए है। उक्त केवाला का अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण बाद संख्या 7171/2022–23 से स्वीकृत किया गया है।

विपक्षी लेख्यकारी मो0 अब्दुल कलाम ने अपीलार्थी को प्राप्त भूमि खाता संख्या–01 प्लॉट संख्या–160 रकबा 9.58 डिसमिल अपनी पत्नी को दान पत्र केवाला संख्या 6439 दिनांक 13.08.2022 से कर दिए है। उक्त केवाला का अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण बाद संख्या 7170/2022–23 से स्वीकृत किया गया है।

विपक्षी लेख्यकारी अनवर हुसैन ने अपीलार्थी को प्राप्त भूमि खाता संख्या–01 प्लॉट संख्या–160 रकबा 32.50 एवं प्लॉट 161, रकबा–25.00 डिसमिल कुल रकबा–57.50 डिसमिल अपनी पत्नी को दान पत्र केवाला संख्या 6440 दिनांक 13.08.2022 से कर दिए है। उक्त केवाला का अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण बाद संख्या 7156/2022–23 से स्वीकृत किया गया है।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

अपीलार्थी का यह भी कहना है कि प्रतिवादियों के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर विक्रय विलेख निष्पादन किये जाने एवं उक्त का अंचल कार्यालय से दाखिल खारिज किये जाने के उपरान्त उनके द्वारा विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, हजारीबाग के समक्ष अपील दाखिल किया गया परन्तु अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हजारीबाग के द्वारा विचार नहीं किया गया।

आवेदक का कहना है कि आवेदक के दादा स्व0 अलीजान मिंया कभी भी उक्त सम्पत्ति को ना तो किसी के पास बेचे है और न ही उसक जमीन का कभी बंटवारा किये हैं। अलीजान मियां के केवल दो पुत्र है मो0 जहीर एवं मो0 गयासुद्दीन एवं उन दोनों तथा उनके वारिसान के बीच किसी तरह का विवाद नहीं है। उक्त भूमि जिसका केवाला पांचो व्यक्ति अपने–अपने पत्नी के नाम से दान पत्र किये हैं न तो अलीजान मियां के वारिसान हैं और न ही उस सम्पत्ति में हिस्सेदार है। केवल आवेदक की जमीन को हड़पने के नियत से यह केवाला किया गया है। आवेदन का यह भी कहना है कि उक्त विक्रय विलेख के निष्पादन में अंचल कार्यालय से भूमि संबंधित प्रमाण पत्र (L.P.C) भी निर्गत नहीं किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा उक्त तथ्यों को रखते हुए उपरोक्त दाखिल खारिज को रद्द करने हेतु अनुरोध किया जाय।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बतलाया गया कि वाद में निहित भूमि अलीजान मियां बगैरह पिता चरण मियां के नाम से दर्ज है, चरण मियां के चार पुत्र है– 1. अलीजान मियां 2. करीम मियां 3. रहमान मियां 4. आरजू मियां। अलीजान मियां जो चारों भाइयों में बड़े में उन्ही के नाम से जमाबंदी में अलीजान मियां बगैरह के नाम से खाता संख्या 01 प्लाट संख्या 160 रकबा 3.00 एकड़ का कायम है।

अलीजान मियां अपने जीवन काल में हीं उक्त भूमि का बंटवारा वर्ष 1931 में हीं कर दिए, उक्त बंटवारा में उल्लेखित है कि करीम मियां कि एकमात्र विवाहित पुत्री हिस्सा लेने से मना कर दी। इस प्रकार संपूर्ण भूमि तीन भाइयों का हुआ। कर्वेकला मौजा में दो टोला गुवाही एवं बैथिया है। जमीन दोनों टोलों मे अवस्थित है।

अलीजान मियां अपने जीवनकाल में खाता संख्या 01 प्लाट संख्या 514 एवं 414 कुल रकबा 1.80 एकड़ गुवाही टोला में लिए एवं रहमान मियां को 1.55 एकड़ बैथिया टोला में दिए। जिसमे रहमान मियां एवं आरजू मियां का 90 वर्षों से दखल कब्ज़ा रहा है एवं चाहरदीवारी भी है। अपील नंबर 86/18 के suit land में प्लाट संख्या 514 सन्निहित है जबकि वर्तमान नामांतरण अपील प्लाट संख्या 160 एवं 161 से सम्बंधित है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा गलत वंशावली दायर किया गया है। उक्त भूमि पर हमलोगों का 90 वर्षों से दखल–कब्ज़ा है। अंचल अधिकारी सदर हजारीबाग द्वारा सभी नियमों का अनुपालन करते हुए उपरोक्त दाखिल–खारिज निष्पादित किया गया है।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

उभय पक्षों द्वारा अपने–अपने दावे के समर्थन में कागजात दाखिल किये है। उभय पक्षों द्वारा Title Appeal No 86/2018 वर्ष 1926 कि छायाप्रति, लगान रसीद कि छायाप्रति, खतियान की छायाप्रति एवं केवाला संख्या 6441,6442,6443,6439 एवं 6440 दिनांक 13.08.2022 कि छायाप्रति समर्पित किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन तथा विभिन्न तिथियों को सुनवाई के क्रम में निम्न तथ्य स्पष्ट होता है:–

1. सदर अंचल अन्तर्गत मौजा–करवेकला, थाना नं0–173 के खाता नं0–01, प्लॉट नं0–160 एवं 161 सर्वे खतियान में बकास्त लगान पाने वाला दर्ज है।
2. उक्त भूमि अपीलार्थी के दादा अलीजान मियां को टाईटल अपील न0 86/18 सन् 1926 ई0 में दिनांक 02.08.1926 को निष्पादन के उपरांत हासिल है।
3. प्रतिवादी पक्ष के द्वारा समर्पित ऑनलाईन पंजी–II के भाग संख्या–1, पृष्ठ संख्या–81 में अलीजान मियां वगै0 के नाम से जमाबंदी कायम है।
4. मुखिया के द्वारा सत्यापित वंशावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अलीजान मियां कुल चार भाई हैं क्रमशः अलीजान मियां, करीम मियां, रहमान मियां एवं आरजू मियां हैं जिसमें करीम मियां के एकमात्र पुत्री के द्वारा सम्पति में हिस्सा लेने से इन्कार किया गया।
5. उक्त भूमि पर अलीजान मियां, रहमान मियां एवं आरजू मियां के वारिसानों के बीच भूमि के मालिकाना हक को लेकर विवाद है।

वाद में सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि प्रश्नगत भूमि के स्वत्व के बिन्दु पर माननीय व्यवहार न्यायालय, हजारीबाग में टाईटल सूट नं–145/2023 मो0 जमाल–बनाम–मो0 साबिर एवं अन्य दायर किया गया है जो निर्णय हेतु विचाराधीन है।

अतः वर्णित परिस्थितियों में इस पूरे मामले में उभय पक्षों के बीच विवाद एवं जटिलता को देखते हुए सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा स्वत्व के बिन्दु पर निर्णय लिया जाना उचित प्रतीत होता है।

उभय पक्ष मामले में माननीय व्यवहार न्यायालय में दायर टाईटल सूट नं0145/23 में आगे पहल करने हेतु स्वतंत्र हैं।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग सत्यमेव जयते

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग	इसी के साथ विधि शाखा, हजारीबाग के कार्यालय पत्रांक 2398/विधि, दिनांक 10.11.2023 के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर लगाये गये Status Quo को समाप्त करते हुए वाद की कार्रवाई निष्पादित की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 22/6/24 उपायुक्त, हजारीबाग। 22/6/24 उपायुक्त, हजारीबाग।	

Digitally signed by NANCY SAHAY
Date: 2024.06.25 19:07:21 +05:30
Location: 192.168.1.36